

'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' और इसकी उपयोगिता

चर्चा में क्यों?

रज़िर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस.एन. विश्वनाथन का कहना है कि एक 'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' (public credit registry-PCR) के आरंभ होने से डिजिटलीकरण की गति बढ़ेगी। वदिति हो कि पीसीआर बनाने को लेकर आरबीआई ने हाल ही में एक कार्यदल का गठन किया था। यह पीसीआर कई कारणों से महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

क्या है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर)?

- पीसीआर क्रेडिट से संबंधित जानकारी का एक वसितृत डाटाबेस होगा जो सभी हतिधारकों के लिये उपलब्ध रहेगा।
- पीसीआर में ऋण की मांग करने वाले व्यक्तों से संबंधित सभी जानकारियों, जैसे- उसने पहले कतिना ऋण लिया है, उसने समयानुसार ऋण चुका दिया है या नहीं? आदि एकत्र कर रखी जाएंगी।

कैसे होता है पीसीआर का प्रबंधन?

- आमतौर पर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी पीसीआर का प्रबंधन केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक के हाथ में होता है।
- कानूनी तौर पर करज़दाताओं या करज़दारों के लिये ऋण वविरणों की सूचना पीसीआर को देना अनविर्य बना दिया जाता है।

पीसीआर के संभावित लाभ

- 'लोन डिफॉल्ट' घटाने, ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और ववित्तीय समावेश को प्रोत्साहति करने में पीसीआर की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- भारत में पारदर्शी और व्यापक 'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' बनाना समय की मांग भी है, क्योंकि आज बैंकों का एनपीए उल्लेखनीय रूप से बढ़ा हुआ है।
- साथ ही इसका फायदा छोटे और मझोले कारोबारियों व उद्यमियों को भी मल्लिगा और ववित्तीय समावेश बढ़ेगा तथा कारोबार करना सुगम होगा।

नषिकर्ष

- ऋण की मांग करने वालों के बारे में पता लगाने के लिये अब अलग-अलग तरह के डाक्यूमेंट्स जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ पीसीआर के ज़रिये उपलब्ध होंगी। इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा तो मल्लिगा साथ ही इसके कई अन्य फायदे भी हैं।
- यदा यह व्यवस्था भारत में लागू की जाती है, तो इससे बैंकों की ओर से क्रेडिट के आकलन और दर नरिधारण में मदद मल्लिगी। इसके अलावा नयामकों के लिये नगिरानी करना आसान बन जाएगा।
- पीसीआर की सहायता से मौद्रिक नीतियों से भी संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं, जैसे- इन नीतियों का ऋण बाज़ार पर क्या प्रभाव देखा जा रहा है? यदा ये नीतियाँ सही से काम नहीं कर रही तो बाधाएँ कहाँ पर हैं और उनका समाधान कैसे हो?
- दरअसल, बड़े करज़दारों को प्रायः ऋण बाजार में तरजीह दी जाती है और इसका कारण यह है कि उनकी 'क्रेडिट हसिट्री', 'ब्रांड वैल्यू' आदिके संबंध में जानकारियाँ आसानी से उपलब्ध होती हैं।
- लेकिन, अब पीसीआर के बनने से छोटे व मझोले कारोबारियों और उद्यमियों की भी जानकारियाँ सुलभ उपलब्ध होंगी, ज़ाहिर है इन्हें फायदा मल्लिगा।